न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 36/2018

GCMS NO. : 2018/00082

–:: प्रार्थी ::–

1. समदू पुत्र अन्ना जाति– रावत, निवासी– ग्राम बस्सी उर्फ चैनपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. डूंगा पुत्र अना
2. मदन पुत्र. अना
3. नैमा पुत्र अना
4. जयराम पुत्र अना
5. गैनसिंह पुत्र अना
6. माला पुत्र कालू
7. सोहनी पुत्री बीरमसिंह जातियान– रावत, निवासीगण– बस्सी उर्फ चैनपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।
8. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

तारीख रजू: 16/02/2018

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः 25/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक रास, तहसील जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 380 रकबा 23–05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 से 7 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है जिसे प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि में सायल का 2/3 का 1/6 हिस्सा आता है। जिसका सायल रेकर्डडेड खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार प्रतिसायल संख्या 1 से 5 का भी प्रत्येक का 2/3 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिसायल संख्या 06 का [illegible] प्रतिसायल संख्या 07 का 1/9 हिस्सा आता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में [illegible] कृषि भूमि में सायल बाहमी बंटवाड़े के तहत अपने हक एवं हिस्सानुसार [illegible] काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त कार्य करता आ रहा है एवं भूमि का उपयो[illegible] उपभोग करता [illegible] आ रहा है। सायल एवं गैरसायलान की उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाड़ा नही हो रखा है सायल ने अपने हक हिस्से की भूमि में खाद डालकर एवं भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

रख रखाव एवं अपनी मेहनत से एवं अपने खर्चे से अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ एवं उर्जावान बनाया है सायल के हक हिस्से की उक्त उपजाउ एवं उर्जावान भूमि के प्रति गैरसायलान की नियत हमेशा से ही बद् एवं खराब रही है एवं गैरसायलान सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से व सायल को तंग परेशान एवं सायल के काश्त कार्य में बाधा उत्पन्न करना शुरू कर रखा है। जिससे सायल को अपने हक हिस्से की भूमि छीन जाने का भय है इसलिए उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना न्यायतन आवश्यक है तथा सायल अपने हक हिस्से की भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में अपनी भूमि का अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अलग से बंटवाड़ा करवाने का कानूनन अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिसायल संख्या 1 लगायत 5 ने अपने 2/3 का 5/6 का 93/155 वां हिस्सा की भूमि यानि की 07-15 बीघा भूमि गैरसायल संख्या को जरिये पंजीबद्ध बेचान के बैचान कर दी है तथा सायल को अपने हक हिस्सी की भूमि की बेदखल करने की नियत से एवं सायल को क्षति कारित करने के उद्देश्य से गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 (बैचानकर्ता) ने सायल के हक हिस्से की भूमि को अपने हक हिस्से की भूमि बताते हुए गैरसायल संख्या 06 (क्रेता) को बेचान कर दी जिससे गैरसायल संख्या 6 (क्रेता) सायल के हक हिस्से की भूमि का कब्जा करने व सायल को अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गया है। पंजीबद्ध बेचाननामा की प्रमाणित प्रति प्रार्थना के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पक्षकारी के मध्य विवादित भूमि सम्मिलित भूमि है। जिसमें सायल का 2/3 का 1/6वां हिस्सा है तथा गैरसायल संख्या 1 लगायत 5 ने अपने 2/3 का 5/6 का 93/155 वां हिस्सा गैरसायल संख्या 6 को जरिये पंजीबद्ध बेचान के अन्तरण किया। जिसके बल पर नामान्तरकरण गैरसायल संख्या के पक्ष में सत्यापित नहीं हुआ है। परस्पर विभाजन का तथ्य पक्षकारों को स्वीकार नहीं है । जब तक कि विधिवत भूमि का विभाजन नही हो जाये, प्रत्येक सहखातेदारान का सम्मिलित भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक एवं अधिकार है। विक्रय पत्र में विक्रेता का आधिपत्य भूमि के कौनसे भाग पर है। यह उल्लेख नहीं होने से भी क्रेता कब्जे के हकदार नही है। सायल के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने का गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार नहीं है व गैरसायलान द्वारा सायल को बेदखल कर कब्जा करने की कोशिश की तो मौके पर टण्टा फसाद होगा तथा विविध मुकदमे बाजी होगी सायल को गैरसायलान के विरुद्ध बार बार दिवानी व फौजदारी मुकदमे करने होंगे जिससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी व सायलगण को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकता है तथा उक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाना न्यायतन आवश्यक है तथा सायल अपने हक हिस्से की भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड में अपनी भूमि का अलग से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अलग से बंटवाड़ा करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का कानूनन अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश है तथा सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। उपरोक्त कारणो से सायल के हक में प्रथम दृष्टिया केस बखुबी साबित है। उपरोक्त कारणो से सायल के हक में सुविधा का सन्तुलन है। उपरोक्त कारणो से गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से निषिद्ध किया जाना आवश्यक है अन्यथा सायल को रुपयो में न आंके जाने वाली अपूर्णीय क्षति कारित होगी। सायल ने बतौर सायल आज एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जो काफी ठोस तथ्यो पर आधारित है जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। प्रार्थना पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न है। सायल का शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि वाद पत्र के निस्तारण तक सायल के हक में विरुद्ध गैरसायलान इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित फरमावे कि प्रार्थना पत्र के पद नम्बर एक में वर्णित कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि में सायल के 2/3 का 1/6 हक व हिस्सा की भूमि पर सायल शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है, उसमें ना तो गैरसायलान स्वयं, न ही उनके नौकर, चाकर, दोस्त, कुटुम कबिले का कोई भी व्यक्ति, हालि एजेन्ट, ठेकेदार, मुख्तयार आम इत्यादि दखलन्दाजी नही करे, प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियो की रगत, पड़त, सेरा, पाली, रुख, दरख्त, पान, पापड़ी, आव, पोसी, नीव, सींव, पानी ढाल इत्यादि को क्षति नही पहुंचावे, न ही भूमि को खुर्दबुर्द करे, न ही किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित करे तथा न ही राजस्व रेकर्ड में कांट छांट रद्धोबदल एवं परिवर्तन का इन्द्राज करावे तथा गैरसायल संख्या 8 को आदेशित एवं निर्देशित किया जावे कि वाद के निस्तारण तक उक्त भूमियों में गैरसायल संख्या 1 से 7 द्वारा किसी प्रकार का कोई बेचान, वसीयत, बख्शीश आदि गैरसायल संख्या 8 के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो गैरसायल संख्या 8 उस दस्तावेज को पंजीयन नही करे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या से 7 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुये कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक का जवाब है कि राजस्व मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक रास तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 380 रकबा 23-05 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई होने की बात सत्य है। उक्त भूमि में समदू एवं गैरसायलान संख्या एक डूंगा व तीन नेमा चार जयराम पांच गेनसिंह का 1/3 हिस्सा हैं। इसी माफिक मौके पर पूर्वजों के समय से मना गना पारिवारिक बंटवाड़ा [illegible] अलग-अलग कब्जा काश्त है और हिस्से अनुसार अलग-अलग काश्त [illegible] के पर बंटी हुई है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। नकल जमाबंदी [illegible] सम्वत् 2073 से 2076 की जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जो जवाब [illegible]र्थना पत्र का ही भाग माना जावें। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या दो का जबाब है कि सायल एवं गैरसायलान संख्या एक से पांच तक का राजस्व रेकर्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible] है। जो मोके पर पूर्वजों समय से बंटवाड़ा करके हिस्से अलग-अलग किये हुए है और अपने अपने हिस्से के चारो तरफ रेत की बन्दक लगाई हुई और हिस्से मापक अलग-अलग कब्जा काश्त है। सायल गैरसायलान संख्या एक से पाच के हिस्से की कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं है। गैरसायल संख्या-6 माला पुत्र कालू का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज हिस्सा 1/3 वां हिस्सा के अनुसार ही मौके पर पर काबिज है और शान्ति पूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है। सायल का इसमे कोई हक हिस्सा व मालिकाना अधिकार नहीं है। गैरसायलान अपने हिस्से अनुसार मोके पर काबिज है, उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या - तीन का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन होने से गैरसायलान नामंजूर/अस्वीकार करते है। सायल एवं गेरसायलान संख्या 1 से 7 तक सभी खातेदार काश्तकार है, जो पूर्वजो के समय से मौके पर हिस्से माफिक अलग-अलग बंटवाड़ा किया हुआ है और मोके पर हिस्से माफिक काश्त करते है और शान्ति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। इस सायल का हिस्सा उक्त आराजी की कृषि भूमि में मौके पर अलग-अलग है। इस हिस्से में उचित किस्म की खाद डाल कर चाहे जैसे उपयोग अलग से करता आ रहा है। फिर भी सायल की गैरसायलान के प्रति नियत बद एवं खराब है। सायल गेरसायलान के हिस्से की कृषि भूमि को लाठी के बल पर बेदखल करके इस प्रार्थना-पत्र की ओट में हड़प करना चाहता है। और मन मर्जी से कृषि भूमि पर कब्जा करना चाहता है, जो कानूनी गलत है, ऐसा गैरसायलान किसी भी सूरत में नहीं करने देगे। जब सायल एवं गैरसायलान का हिस्सा मोके पर पूर्वजों के समय से ही बट्वाडा करके अलग-अलग सुपुर्द कर के कब्जा सुपुर्द कर दिया है। इसी अनुसार अलग-अलग मोके पर कब्जा काश्त है और शान्ति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। तो नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने का कोई कानूनी औचित्य ही नहीं है। जब सायल का हिस्सा ही अलग है और हिस्से माफिक काश्त अलग करता तो गैरसायलान द्वारा सायल को तंग एवं परेशान करने एवं काश्त के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के तथ्य और भूमि छीनने के तथ्य सायल ने बानावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके न्यायालय को गुमराह करने के लिये एवं गैरसायलान को तंग एवं परेशान करने की नियत से प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टोनबन नहीं है। काबिल खारिज के है, जो मय हर्जेएवं खर्च के खरिज फरमावें। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या-चार का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य गलत एवं आधारहीन होने से गैरसायलान खारिज एवं अस्वीकार करते है। जहां तक प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या [illegible] वर्णित कृषि भूमि में से गैरसायलान संख्या एक लगायत पाच तक [illegible] गैरसायल संख्या-6 को खसरा नम्बर-380 रकबा 23 बीघा 05 बिस्वा [illegible] भूमि में 2/3 का 5/6 का 93/153 वां हिस्सा की भूमि यानि कि 07-15 की भूमि बऐवजाने प्रतिफल की राशि रुपये 3,50,000/- अक्षरे -तीन लाख पच्चास हजार रूपये प्राप्त कर गैरसायलान संख्या 6 माला पुत्र कालू के नाम से बैचान रजिस्ट्री दिनाक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

6-1-2018 को तकमील करवाई जो प्रतिवादी संख्या-6 बोनाफाईड परचेजर है। गैरसायलान संख्या-एक से पांच तक को उक्त आराजी की कृषि भूमि में से अपने हिस्से तक जो मौके पर बंटवाडा किया हुआ है। इनको अपने हिस्से में से कृषि भूमि बेचान करने का कानूनी अधिकार है, सायल को रुकवाने एवं नये सिरे से बंटवाडा करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जिस कदर गैरसायलान का उक्त आराजी की कृषि भूमि पर कब्जा था, उसी कदर गैरसायलान संख्या एक से पांच तक ने बेचान रजिस्ट्री करवाने के तुरन्त बाद उसी दिन गैरसायल संख्या 6 माला पुत्र कालू को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया जो वक्त खरीद से लेकर आज तक गैरसायल संख्या 6 का मौके पर 93/155 वा हिस्सा रकबा 07-15 बीघा की जमीन पर कब्जा है, और शान्ति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे है। इसलिये सायल का यह कहना कतई गलत है कि गैरसायलान संख्या एक से पांच तक ने मिल कर सायल के हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की नियत से गैरसायलान संख्या एक से पांच इशारा नीतक ने मिल कर अपनी होना बता कर बेवान कर दी। जो बनावटी गलत एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके गेरसायल संख्या- 6 बोनाफाईड परचेजर जिसमें भूमि की नियत प्रतिपल की राशि अदा करके जरिये पंजीबद्ध बेचान रजिस्ट्री के खरीद की है। विधि का सुस्थापित नियम है कि एक खातेदार अपने हक हिस्से तक की कृषि भूमि को कानूनी रूप से बेचान करने का पूरा अधिकार है। इसमें सहखातेदार को रुकवाने एवं बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके अलावा इस फिकरे में सायल ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख किया है। सायल ने गैरसायल संख्या -6 जो बोनाफाईड परचेजर है, इसको तंग एवं परेशान करने एवं लाठी के बल पर गैर कानूनी रूप से बेदखल करने की नियत से प्रार्थना-पत्र पेश किया है, जो का कानूनी रुप से मेन्टीनेबल नहीं है। जो काबिल खारिज के है, जो मय खर्च खारिज फरमावे। नकल बेचान रजिस्ट्री की फोटो प्रति जबाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या- पांच का जबाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख होने से गैरसायलान नामंजूर एवं अस्वीकार करते हैं। प्रार्थना-पत्र के पैरा संख्या-एक में वर्णित कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान संख्या एक से पांच तक की अलग-अलग हिस्से अनुसार मौके पर पूर्वजों के समय से बंटी हुई है। जो गैरसायलन् संख्या एक से पांच तक ने मिल कर अपने हिस्से की मौके पर बंटी हुई जमीन जो गैरसायलन संख्या 6 को जरिये पंजीबद्ध बेचान करने प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कर फरोक्त कर दी एवं उसी समय मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया जो वक्त खरीद से लेकर आज तक मौके पर गैरसायल संख्या 6 काबिज [illegible] इसमें सायल का कोई हक हिस्सा व [illegible] है। पूर्व में उक्त आराजी मालिकाना अधिकार नहीं है। सायल [illegible] मौके पर तीन पीढ़ियों का पूर्वजों के समस से बंटवाड़ा किया [illegible] करवाने का सायल कानूनी रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया तो नये सिरे से बंटवाड़ा [illegible] है। जबरदस्ती लाठी के बल पर से अधिकारी नहीं है। सायल की नियम में खोट है। जबरदस्ती लाठी के बल पर कानून हाथ में लेकर मौके पर टन्टा फिसाद करके गैरसायल संख्या-6 को बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[illegible]के इस प्रार्थना पत्र की ओट में गैर कानूनी रूप से कब्जा करना चाहता है, जो ऐसा करने का सायल को कोई अधिकार नहीं है। मौके पर पूर्वजों के समय से बंटवाड़ा के अनुसार कब्जा काश्त होनें से स्पष्ट रूप से कब्जा हक हिस्सा साबित है। इसलिये सायल का यह कहना कतई गलत है कि विधिवत भूमि का विभाजन नहीं हो रखा है। यह विक्रित भूमि में क्रेता का अधिपत्य भूमि के कौन से भाग पर है। ये सारे सायल ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके गैरसायलान को तंग एवं परेशान करनें एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने एवं खर्चे से जैरबार करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं होनें से काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे फरमावें। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 का जवाब है कि इस फिकरे में वर्णित तमाम तथ्य बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख होनें से गैरसायल नामंजूर एवं अस्वीकार करते है। सायल को मौके पर उक्त आराजी की कृषि भूमि का कब्जा अलग है एवं गैरसायलान संख्या 01 से 05 का हक हिस्सा व कब्जा अलग है, जो गैरसायल संख्या 06 को बैचान किया है। सभी के मौके पर हिस्से माफिक कब्जा काश्त अलग-अलग है तो सायल बेदखल करने कब्जा करने की कोशिश करने मौके पर टन्टा फिसाद करनें के सारे कथन सायल ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कानूनी रूप से मेन्टीनेबल नहीं है। काबिल खारिज के है। सायल अपने हिस्से पर काबिज है। गैरसायल संख्या 1 से 5 तक हिस्से की कृषि भूमि जो गैरसायल संख्या 6 को बेचान की है। इस गैरसायल संख्या 6 का मौके पर कब्जा काश्त है। सायल का कोई हक हिस्सा एवं अधिकार नहीं है। सायल आउट ऑफ पजेशन है। सायल ने बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों का उल्लेख करके प्रार्थना पत्र गैरसायल संख्या 6 को लाठी के बल पर गैर कानूनी रूप से बेदखल करने एवं हड़प करनें की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। यदि गैरसायल संख्या 6 बोना फाईड परचेजर है। जिसको लाठी के बल पर बेदखल कर दिया तो मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। गैरसायल संख्या 6 का प्रथम दृष्टिया मामला है। सुविधा का संतुलन भी गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में बखूबी साबित है। अपूरणीय क्षति भी गैरसायल संख्या 6 के पक्ष में बखूबी साबित है। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 का जवाब है कि सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित नहीं होता है क्योंकि गैरसायल संख्या 6 बोना फाईड परचेजर है जो इसने गैरसायल संख्या 1 से 5 तक को प्रतिफल की राशि अदा करके इनके हिस्से की कृषि भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के खरीद की है और मौके पर काबिज है। जो बैचान दस्तावेज दिनांक 16.01.2018 के आधार पर अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी है। इसलिये सायल [illegible] प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होनें से काबिल खारिज के है [illegible] खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 9 का जवाब है कि गैरसायल संख्या 6 के विरुद्ध कानूनी रूप से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। विधि का सुस्थापित नियम है कि एक खातेदार दुसरे खातेदार एवं बोनाफाईड परचेजर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

विरूद्ध किसी तरह से स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। गैरसायल संख्या 6 ने गैरसायल संख्या 1 से 5 तक को प्रतिफल की राशि अदा करके जरिये पंजीबद्ध बेचान के खरीद की जो बोना फाईड परचेजर है। इस बेचान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया, तो गैरसायल संख्या 6 को आर्थिक नुकसान होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी और गैरसायल संख्या 6 को खर्चे से जेरबार होना पड़ेगा एवं विविध प्रकार की मुकदमें बाजी करने पड़ेगी। जिससे आर्थिक नुकसान होगा। इसलिये भी सायल का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होनें से काबिल खारिज के है, जो मय खर्चे खारिज फरमावें। पैरा संख्या 10 का जवाब है कि सायल का प्रार्थना पत्र बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों पर पेश किया है, जो कोई आधार नहीं होनें से काबिल खारिज के है जो मय खर्चे खारिज फरमावें। पैरा संख्या 11 व 12 कानूनी है जिसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान की ओर से अपनें पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टाँत प्रस्तुत किए गएः–

1. ***R.R.D. 2002 Page No. 214***
2. ***R.R.D. 2003 Page No. 310***
3. ***D.N.J. 1995 (Raj) Page No. 38***

हमनें उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों का सहसम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् मार्गदर्शन प्राप्त किया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला*** :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वार वादग्रस्त आराजी जो कि अविभाजित सहखातेदारी भूमि है के कानूनन बंटवाड़ा का वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। सहखातेदारी भूमि की दशा में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में निहित माना जाता है तथा कानूनन बंटवाड़ा करवाये बिना अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू भाग का बेचान प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् में जटिलता उत्पन्न करता है। अतः यह बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होता है।

2. ***सुविधा का सतुंलन*** :– चुंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार अपने हक हिस्से तक ऐसी आराजी के उपयोग एवं उपभोग तथा कब्जा काश्त का [illegible] होता है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. ***अपूर्णनीय क्षति*** :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है साथ ही भू–अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार यदि उभयपक्षकारान् को पाबन्द नहीं किया जाता है तो यह पूर्ण आशंका है कि उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किया जा सकता है तथा ऐसे होनें पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप से उभयपक्ष प्रभावित होगें। अतः यह स्पष्ट है कि यदि उभयपक्षकारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो उभयपक्षकारान को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कानूनन बंटवाड़ा बाबत् वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है तथा ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति का अपरिवर्तित रखना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन् के आवश्यक है लिहाजा उभयपक्षकारान् को वादग्रस्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण न करनें हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक रास, तहसील जैतारण, जिला पाली के खसरा नम्बर 380 रकबा 23–05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/03/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:20 IST
Reason: SelfAttested